प्रेस नोट
दिनांक 22.09.2025

थाना नवाबगंज में तैनात मुख्य आरक्षी योगेन्द्र नाथ यादव की सड़क दुर्घटना में दुःखद मृत्यु होने पर पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन्स में राजकीय सम्मान के साथ श्रद्धांजलि अर्पित कर नम आंखों से दी गयी विदाई–

गोण्डा। दिनांक 17.09.2025 को थाना नवाबगंज पर तैनात मुख्य आरक्षी योगेंद्र नाथ यादव (पी0एन0ओ0–062080428) सरकारी कार्य हेतु क्षेत्र में गए थे। इसी दौरान टिकरी मोड़ के पास उनकी मोटरसाइकिल का सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उन्हें सिर में गंभीर चोटें आईं। उन्हें तत्काल मेडिकल कॉलेज अयोध्या ले जाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के उपरांत ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया, जहाँ वे उपचाराधीन रहे।

आज दिनांक 22.09.2025 को रात्रि 01:10 बजे उपचार के दौरान उनकी असामयिक एवं दुःखद मृत्यु हो गई। पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा मुख्य आरक्षी योगेन्द्र नाथ यादव की असामयिक/दुःखद मृत्यु होने पर रिजर्व पुलिस लाइन्स गोण्डा में शोक परेड का आयोजन कर उनके पार्थिव शरीर को सलामीी दी गयी तथा पुष्पचक्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गयी तथा मुख्य आरक्षी के परिजनों को सांत्वना/हरसंभव मदद का अश्वासन देकर पार्थिव शरीर को पैतृक गांव भेजवाया गया।

इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत, अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय, सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दवाच्या, प्रतिसार निरीक्षक रिजर्व पुलिस लाइन श्री अजय प्रताप सिंह व अन्य अधिकारी कर्मचारी गण द्वारा भी पुष्पचक्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गयी।

मीडिया सेल, गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 22.09.2025</u>

<u>मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत महिला सुरक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम–</u>

गोण्डा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिला एवं बालिका सुरक्षा, सम्मान तथा आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ बनाने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण में जनपद की मिशन शक्ति टीमों ने आज विभिन्न थाना क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए। इस दौरान टीमों ने गांवों, कस्बों एवं सार्वजनिक स्थलों पर चौपाल लगाकर स्थानीय महिलाओं एवं बालिकाओं से सीधा संवाद स्थापित किया।

कार्यक्रम में टीमों ने महिलाओं/बालिकाओं को महिला सशक्तिकरण, साइबर अपराध से बचाव, आत्मरक्षा के उपाय, और कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी। मिशन शक्ति की महिला पुलिसकर्मियों ने उपस्थित महिलाओं और बालिकाओं से उनकी व्यक्तिगत व सामाजिक समस्याओं के बारे में जानकारी ली और आने–जाने के दौरान होने वाली संभावित परेशानियों पर सुझाव भी प्राप्त किए। महिलाओं को भरोसा दिलाया गया कि पुलिस हर समय उनकी सुरक्षा एवं सहयोग के लिए उपलब्ध है साथ ही मिशन शक्ति टीम द्वारा जनसमूह को शासन द्वारा जारी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में विस्तार से बताया गया, जिनका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर तुरंत सहायता प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है–

112– पुलिस आपातकालीन सेवा
1090– वूमेन पावर हेल्पलाइन
1076– माननीय मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
108– एंबुलेंस सेवा
1930– साइबर अपराध हेल्पलाइन
1098– चाइल्ड हेल्पलाइन
102– स्वास्थ्य सेवा

इसके साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को साइबर सुरक्षा से जुड़ी सावधानियों, जैसे अज्ञात कॉल या संदेशों पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करना, बैंक संबंधी धोखाधड़ी से बचाव, और सोशल मीडिया पर गोपनीयता बनाए रखने के तरीकों की जानकारी दी गई। टीमों द्वारा यह भी बताया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य न केवल महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, बल्कि उन्हें आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक रूप से सशक्त बनाना भी है, ताकि वे हर परिस्थिति में अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल ने कहा कि महिला सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसे जन–जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से पुलिस एवं समाज के बीच विश्वास का वातावरण और अधिक मजबूत होगा। उन्होंने सभी महिलाओं से अपील की कि वे किसी भी समस्या की स्थिति में बिना हिचकिचाहट पुलिस से तुरंत संपर्क करें। जनपद गोण्डा पुलिस महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत ऐसे जागरूकता कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाते रहेंगे, जिससे समाज में सुरक्षा, सम्मान एवं आत्मनिर्भरता की भावना को और प्रबल किया जा सके।

मीडिया सेल,गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 22.09.2025

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा बलवा करते हुए रंगदारी मांगने के 04 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाही
पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–435/2025 धारा 308(5),191(2),191(3),190,115(2),352,351(3),324(2) बीएनएस से संबंधित 04 आरोपी अभियुक्तों–01. सुशील कुमार शुक्ल, 02. अरूण कुमार शुक्ल, 03. अमित मिश्रा, 04. अमित शुक्ला को जनेउन गांव मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण
दिनांक 12.09.2025 को वादी चन्दन मिश्र पुत्र श्री घनश्याम मिश्र, ग्राम भगहरबुलन्द, थाना कोतवाली देहात, गोण्डा ग्राम नरायनपुर वली में विक्रांत इंजीनियरिंग कंपनी के जे0ई0 विपिन शुक्ला के साथ विधुत पोल उतरवाने गए थे। उसी समय सुशील कुमार शुक्ल, अरुण कुमार शुक्ल, अमित शुक्ल व अमित मिश्र व उनके साथियों द्वारा वादी चन्दन मिश्र के साथ मारपीट ,गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए रंगदारी मांगने की घटना कारित की गयी थी। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 देहात में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था। आज दिनांक 22.09.2025 को थाना को0 देहात पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए अभियुक्तों मे से 04 आरोपी अभियुक्तों–01. सुशील कुमार शुक्ल, 02. अरूण कुमार शुक्ल, 03. अमित मिश्रा, 04. अमित शुक्ला को जनेउन गांव मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–
01. सुशील कुमार शुक्ल पुत्र विनोद कुमार शुक्ल उर्फ पप्पू, निवासी ग्राम नरायनपुरवली, थाना को0 देहात, जनपद गोण्डा।
02. अरुण कुमार शुक्ल पुत्र विनोद कुमार शुक्ल उर्फ पप्पू, निवासी ग्राम नरायनपुरवली, थाना को0 देहात, जनपद गोण्डा।
03. अमित मिश्रा पुत्र राकेश मिश्रा, निवासी मिश्रनपुरवा, मौजा माझा तरहर, थाना को0 देहात, जनपद गोण्डा।
04. अमित शुक्ला पुत्र कृपाराम शुक्ला, निवासी रामनगर पथरी बाजार, मूल निवासी माझा तरहर, थाना को0 देहात, जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–435/2025 धारा 308(5),191(2),191(3),190,115(2),352,351(3),324(2) बीएनएस थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. प्र0नि0 संजय कुमार सिंह थाना को0 देहात।
02. वरिष्ठ उपनिरीक्षक कमल शंकर चतुर्वेदी।
03. उपनिरीक्षक आनन्द उपाध्याय।
04. हे0कां0 अभिमन्यु गुप्ता।
05. हे0कां0 शैलेन्द्र राय।
06. हे0कां0 शैलेन्द्र यादव।
07. का0 मणिकान्त उपाध्याय।
08. का0 देवनाथ यादव।

मीडिया सेल, गोण्डा

प्रेस नोट
दिनांक 22.09.2025

चोरी की अफवाह फैलाकर दो पक्षों में हुई मारपीट की घटना में संलिप्त 04 आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार–

कार्यवाही

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा चोरी की अफवाह फैलाकर दो पक्षों में हुई मारपीट की घटना में संलिप्त 04 आरोपी अभियुक्तों– 01. मंजूर आलम उर्फ बुच्चा पुत्र मो0 इब्राहिम, 02. अब्दुल कादिर पुत्र अब्दुल कालिक, 03. अब्दुल तालिब उर्फ बब्लू पुत्र अब्दुल खालिक नि0 04. चुनऊ उर्फ माजिद अली पुत्र मो0 अली को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 21.09.2025 को रात्रि लगभग 11:00 बजे मोहल्ला पटेल नगर, थाना को0 नगर, जनपद गोण्डा में दो पक्षों के बीच आपसी विवाद की घटनाएँ घटित हुईं थी। विवाद का प्रारंभ "चोर–चोर" की अफवाह फैलाने से हुआ। दोनों पक्षों के लोग पूर्व से आपसी विवाद में थे। घटना स्थल पर मंजूर आलम उर्फ बुच्चा, नूर मोहम्मद पुत्र मो0 इब्राहिम, सज्जाद पुत्र गुलाम अब्बास, सनी पुत्र इस्लाम अली, जाबिर अली,
बब्बू, आसिक अली पुत्र इस्लाम, रईश उर्फ गोलू, अनीस पुत्र जमील, अब्दुल कादिर, अब्दुल तालिब उर्फ बब्लू, आफताब पुत्र अब्दुल खालिक, चुनउ उर्फ माजिद अली पुत्र मो० अली सहित लगभग 15–20 अज्ञात व्यक्ति उपस्थित थे। ये सभी लोग हाथ में लाठी–डंडा, चाकू आदि लेकर एक–दूसरे पर हमला कर रहे थे। भीड़ ने आपस में पत्थरबाजी भी की। झगड़े में कई लोग चोटिल हुए थे। सूचना पर तत्काल को0 नगर पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्तियों को तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया। थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अफवाह फैलाने वाले दोनो पक्षों के विरुद्ध समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही करते हुए 04 आरोपी अभियुक्तों– 01. मंजूर आलम उर्फ बुच्चा पुत्र मो0 इब्राहिम, 02. अब्दुल कादिर पुत्र अब्दुल कालिक, 03. अब्दुल तालिब उर्फ बब्लू पुत्र अब्दुल खालिक नि0 04. चुनऊ उर्फ माजिद अली पुत्र मो0 अली को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण–

01. मंजूर आलम उर्फ बुच्चा पुत्र मो0 इब्राहिम नि0 पटेलनगर घोसियाना थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. अब्दुल कादिर पुत्र अब्दुल कालिक नि0 पटेलनगर घोसियाना थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
03. अब्दुल तालिब उर्फ बब्लू पुत्र अब्दुल खालिक नि0 पटेलनगर घोसियाना थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
04. चुनऊ उर्फ माजिद अली पुत्र मो0 नि0 पटेलनगर घोसियाना थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–739/25, धारा 191(2),191(3),190,109(1),115(2),131 बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 मनीष कुमार।
02. हे0कां0 गिरजेश यादव
03. कां0 अरूण कुमार गुप्ता
04. कां0 अंगद शर्मा
05. कां0 अरुण कुमार गुप्ता

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 22.09.2025

बालश्रम की रोकथाम हेतु संचालित दुकानों और होटलों की चेकिंग की गयी, दुकानदारों से वार्ता कर बाल श्रम की रोकथाम हेतु शासन द्वारा चलाई जा रही नीतियों के बारे में कराया गया अवगत–

आज दिनांक 22.09.2025 को शासन द्वारा बाल और किशोर श्रम मुक्त अभियान, मानव तस्करी और तस्करी प्रवासी, बाल श्रम, भिक्षावृत्ति और बाल विवाह के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशानुसार एवं नोडल अधिकारी श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के कुशल मार्गदर्शन में थाना एएचटीयू टीम द्वारा थाना कटरा बाजार व थाना कर्नलगंज क्षेत्र क्षेंत्रान्तर्गत संयुक्त जन–जागरूकता अभियान संचालित किया गया।
इस अभियान में श्रम विभाग, चाइल्ड हेल्पलाइन, अपराजिता सामाजिक समिति एवं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट जनपद गोण्डा की टीम सम्मिलित रही। अभियान का मुख्य उद्देश्य अनैतिक देह व्यापार, मानव तस्करी, भिक्षावृत्ति उन्मूलन तथा बाल श्रम की रोकथाम के संबंध में आमजन को जागरूक करना तथा ”बचपन बचाओ, शिक्षा दिलाओ दृ पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत” संदेश का प्रसार करना रहा। दौराने अभियान 04 सेवा नियोजकों द्वारा 05 नाबालिग बच्चों से बाल श्रम कराए जाने की पुष्टि हुई, जिनके विरुद्ध श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री सत्येन्द्र कुमार द्वारा विधिक कार्यवाही हेतु 04 निरीक्षण टिप्पणी काटी गई। जनजागरूकता के दौरान आमजन को निम्न महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों 1090 महिला हेल्पलाइन,112 आपातकालीन सेवा, 181 महिला शक्ति हेल्पलाइन, 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन, 108 स्वास्थ्य सेवा, 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर की जानकारी दी गई। एएचटीयू प्रभारी ने लोगों से अनुरोध किया कि वे अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल भेजें। यदि किसी को चाय, होटल या ढाबे पर बच्चों को काम करते हुए देखें, तो उसे रोकें। आवश्यक होने पर चाइल्ड लाइन (1098), आपातकालीन नंबर (112) या सशस्त्र सीमा बल (1903) पर सूचना दें।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 22.09.2025

'ऑपरेशन कन्विक्शन' के तहत प्रभावी पैरवी से अजन्में शिशु मृत्यु के 04 आरोपी अभियुक्तों को हुई 03–03 वर्ष का कारावास व रूपये 10,000–10,000/– के अर्थदण्ड की सजा–

घटना का संक्षिप्त विवरण–
दिनांक 03.09.2019 को दोपहर लगभग 01 बजे ग्राम पन्ना तकिया थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा में प्रार्थी गनी की बकरी द्वारा विपक्षी सफीउल्ला का गेहूँ खाने की बात पर विवाद हो गया था। जिसमें विपक्षीगण सफीउल्ला, तसऊर, लालबाबू व बबलू ने वादी गनी के घर पहुँचकर उसकी पत्नी कदरूननिशा, बहन अमीरूननिशा व पुत्र शेर अली को गाली–गलौज कर लात–घूँसों व लाठी से मारपीट की, जिससे वादी की बहन अमीरूननिशा के गर्भ में पल 01 माह के शिशु की मृत्यु हो गयी थी। वादी गनी की लिखित तहरीर पर थाना इटियाथोक में सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचना के दौरान दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्तों सफीउल्ला, तसऊर, लालबाबू व बबलू को इटियाथोक पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तगणों के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 03.11.2021 को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण–
श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के आदेश के क्रम एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरूद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में आज दिनांक 22.09.2025 को थाना इटियाथोक में पंजीकृत हत्या सम्बन्धी अपराध में अभियोजक श्री अमित पाठक, थाना इटियाथोक के पैरोकार व कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्री राजेश कुमार तृतीय द्वारा अभियुक्तगण–01. सफीउल्ला(पूर्व में मृत्यु हो चुकी है), 02. तसव्वर, 03. बब्लू, 04. लालबाबू को दोषसिद्ध करते हुए 03–03 वर्ष का कारावास व रू0 10,000–10,000/– के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त का नाम पता–
01. सफीउल्ला (पूर्व में मृत्यु हो चुकी है) पुत्र सब्बीर नि0 ग्राम तकिया परना बगुलहा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
02. तसऊर उर्फ तसव्वर पुत्र ननकू नि0 ग्राम तकिया परना बगुलहा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
03. बब्लू उर्फ अब्बारजा पुत्र ननकू नि0 ग्राम तकिया परना बगुलहा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।
04. लालबाबू उर्फ आरिफ पुत्र जोखू नि0 ग्राम तकिया परना बगुलहा थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

अभियोग का विवरण–
01. मु0अ0सं0–299/19, धारा 323,504,316 भादवि थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 22.09.2025

मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत महिला सुरक्षा एवं जागरूकता कार्यक्रम–

गोण्डा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान 5.0 के तहत महिला एवं बालिका सुरक्षा, सम्मान तथा आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ बनाने हेतु पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में जनपद की मिशन शक्ति टीमों ने आज विभिन्न थाना क्षेत्रों में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए। इस दौरान टीमों ने गांवों, कस्बों एवं सार्वजनिक स्थलों पर चौपाल लगाकर स्थानीय महिलाओं एवं बालिकाओं से सीधा संवाद स्थापित किया।

कार्यक्रम में टीमों ने महिलाओं/बालिकाओं को महिला सशक्तिकरण, साइबर अपराध से बचाव, आत्मरक्षा के उपाय, और कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों की विस्तृत जानकारी दी। मिशन शक्ति की महिला पुलिसकर्मियों ने उपस्थित महिलाओं और बालिकाओं से उनकी व्यक्तिगत व सामाजिक समस्याओं के बारे में जानकारी ली और आने–जाने के दौरान होने वाली संभावित परेशानियों पर सुझाव भी प्राप्त किए। महिलाओं को भरोसा दिलाया गया कि पुलिस हर समय उनकी सुरक्षा एवं सहयोग के लिए उपलब्ध है साथ ही मिशन शक्ति टीम द्वारा जनसमूह को शासन द्वारा जारी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में विस्तार से बताया गया, जिनका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर तुरंत सहायता प्राप्त करने के लिए किया जा सकता है–

112– पुलिस आपातकालीन सेवा
1090– वूमेन पावर हेल्पलाइन
1076– माननीय मुख्यमंत्री हेल्पलाइन
108– एंबुलेंस सेवा
1930– साइबर अपराध हेल्पलाइन
1098– चाइल्ड हेल्पलाइन
102– स्वास्थ्य सेवा

इसके साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं को साइबर सुरक्षा से जुड़ी सावधानियों, जैसे अज्ञात कॉल या संदेशों पर व्यक्तिगत जानकारी साझा न करना, बैंक संबंधी धोखाधड़ी से बचाव, और सोशल मीडिया पर गोपनीयता बनाए रखने के तरीकों की जानकारी दी गई। टीमों द्वारा यह भी बताया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान का उद्देश्य न केवल महिला सुरक्षा को सुनिश्चित करना है, बल्कि उन्हें आर्थिक, सामाजिक एवं मानसिक रूप से सशक्त बनाना भी है, ताकि वे हर परिस्थिति में अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल ने कहा कि महिला सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसे जन–जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से पुलिस एवं समाज के बीच विश्वास का वातावरण और अधिक मजबूत होगा। उन्होंने सभी महिलाओं से अपील की कि वे किसी भी समस्या की स्थिति में बिना हिचकिचाहट पुलिस से तुरंत संपर्क करें। जनपद गोण्डा पुलिस महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत ऐसे जागरूकता कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाते रहेंगे, जिससे समाज में सुरक्षा, सम्मान एवं आत्मनिर्भरता की भावना को और प्रबल किया जा सके।

मीडिया सेल,गोण्डा।

<u>प्रेस नोट</u>
<u>दिनांक 22.09.2025</u>

<u>मिशन शक्ति अभियान 5.0 एवं शारदीय नवरात्रि के दृष्टिगत महिला सुरक्षा, सम्मान व आत्मनिर्भरता हेतु गोण्डा पुलिस की विशेष पहल–</u>

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत एवं आगामी शारदीय नवरात्रि पर्व को ध्यान में रखते हुए महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से जनपद गोण्डा पुलिस द्वारा व्यापक जनसंपर्क एवं सुरक्षा अभियान चलाया गया।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री मनोज कुमार रावत ने नगर क्षेत्र में व्यापक भ्रमण कर महिलाओं व बालिकाओं से सीधा संवाद स्थापित किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय नागरिकों, छात्राओं, कार्यरत महिलाओं और गृहणियों से उनकी व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्याओं के विषय में विस्तार से जानकारी प्राप्त की।

अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) ने संवाद के दौरान महिलाओं को भरोसा दिलाया कि जनपदीय पुलिस हर समय उनकी सुरक्षा एवं सहयोग के लिए तत्पर है। महिलाओं एवं बालिकाओं से आने–जाने के दौरान आने वाली संभावित परेशानियों, सड़क पर छेड़छाड़, अवांछित भीड़भाड़ वाले स्थानों, स्कूल–कॉलेज आने–जाने में होने वाली कठिनाइयों पर सुझाव प्राप्त किए गए साथ ही शासन द्वारा जारी महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नम्बरों–112–पुलिस आपातकालीन सेवा,1090–वूमेन पावर हेल्पलाइन (महिला उत्पीड़न एवं सुरक्षा संबंधी सहायता), 1076–माननीय मुख्यमंत्री हेल्पलाइन (शिकायत एवं त्वरित निस्तारण हेतु),108–एंबुलेंस सेवा (आपातकालीन चिकित्सा सुविधा),1930 साइबर अपराध हेल्पलाइन (ऑनलाइन धोखाधड़ी या साइबर अपराध की शिकायत), 1098–चाइल्ड हेल्पलाइन (बच्चों की सुरक्षा हेतु),102–स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन (मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य आपात सेवा) की विस्तृत जानकारी दी गई, ताकि आपात स्थिति में त्वरित सहायता प्राप्त की जा सके। अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) ने उपस्थित सभी महिलाओं/बालिकाओं पम्पलेट वितरित कर इन नंबरों का उपयोग संकोच रहित एवं तत्काल सहायता के लिए करने की अपील की। भ्रमण के उपरांत आगामी दुर्गा पूजा व नवरात्रि पर्व को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण में संपन्न कराने हेतु दुर्गा पंडालों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान महोदय ने आमजन को सुरक्षा का भरोसा दिलाते हुए पंडाल समितियों को आवश्यक सुरक्षा निर्देश प्रदान किए। तत्पश्चात अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों एवं वाहनों की सघन चेकिंग की गई। चार पहिया वाहनों से काली फिल्म हटवाने की कार्यवाही भी की गई, ताकि कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा में कोई व्यवधान न उत्पन्न हो। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा सभी नागरिकों से अपील की गयी कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, वाहन या गतिविधि की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। भीड़भाड़ वाले स्थानों, धार्मिक आयोजनों एवं बाजारों में सतर्कता बरतें। महिला एवं बालिकाएं किसी भी प्रकार की छेड़छाड़, उत्पीड़न या साइबर अपराध की स्थिति में बिना संकोच 112, 1090 या 1930 पर तत्काल सूचना दें। इसी प्रकार समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीम द्वारा भी गांवों, कस्बों, स्कूल/कालेजों एवं सार्वजनिक स्थलों पर चौपाल लगाकर स्थानीय महिलाओं एवं बालिकाओं से सीधा संवाद स्थापित कर जागरूक किया गया।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल ने कहा कि महिला सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसे जन–जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से पुलिस एवं समाज के बीच विश्वास का वातावरण और अधिक मजबूत होगा। जनपद गोण्डा पुलिस महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत ऐसे जागरूकता कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाते रहेंगे, जिससे समाज में सुरक्षा, सम्मान एवं आत्मनिर्भरता की भावना को और प्रबल किया जा सके। पुलिस अधीक्षक गोण्डा ने आश्वासन दिया है कि त्योहारों के दौरान पुलिस की विशेष गश्त, पिकेटिंग और निगरानी लगातार जारी रहेगी, ताकि जनपद के सभी नागरिक निर्भय एवं सुरक्षित वातावरण में पर्व का आनंद उठा सकें।

<u>मीडिया सेल, गोण्डा</u>